

OPERATION CONVICTION

DISTRICT AMETHI

30.07.2010



अभियुक्तों द्वारा एकराय होकर लाइसेंसी राइफल से वादी के पिता (अयोध्या बवश सिंह) को गोली मार कर हत्या कर देना।

अभियोजन अधिकारी



श्री पवन कुमार दुबे
एडीजीसी

मु0अ0सं0 300/10



थाना मुंशीगंज पर मु0अ0सं0 300/10 धारा 302, 34, 323, 504 भादवि पंजीकृत किया गया।

पैरोकार



का0 संतोष कुमार तिवारी
पैरोकार

अभियुक्तगण दोष सिद्ध



अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त

1. गिरीश कुमार पाण्डेय
 2. सतीश कुमार पाण्डेय
- पुत्रगण रामप्यारे पाण्डेय निवासी गण रघुनाथपुर डिहवा मजरे नोहरपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

25.09.2026



माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तों को दण्डित किया गया।

न्यायालय द्वारा दण्ड



आजीवन कारावास

+



1,54,000/- रुपये

अर्थदण्ड

अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास



थाना : मुंशीगंज



धारा : 302, 34, 323, 504 भादवि।



मु0अ0सं0 : 300/10

